GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

D:\Shalini LUHADIACOMPUTER (word)-17-8-2016\New Big letter- 21-06-19. ..11.doc - 2208 -

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा./लेखा/2022-23/ 4855-64 (4855-4864) दिनांक 2.3.23

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/
बीकानेर/श्रीगंगानगर/जोधपुर/भरतपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य हेतु संबंधित कृषि उपज मंडी समिति की नवीनतम दरें निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के संबंध में।

प्रसंगः- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4569-77 दिनांक 16.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य हेतु संबंधित कृषि उपज मंडी समिति की नवीनतम दरें निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के संबंध में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4569-77 दिनांक 16.02.2023 के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :-

1. आपको प्रेषित प्रमाणित हैण्डलिंग कृषि उपज मण्डी की दरों के संबंध में आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेवे कि इन दरों में कृषक द्वारा वहन की जाने वाली दरें सम्मिलित नहीं है।
2. यह भी सुनिश्चित कर लेवे की हैण्डलिंग की कृषि उपज मण्डी की दरें व्यवहारिक रूप से सही प्रतीत होती हो तथा इनकी तुलना गत वर्षो की दरों से भी कर लेवे।
3. हैण्डलिंग कृषि उपज मण्डी की दरें अव्यवहारिक लगने (जैसे गत वर्ष से दुगनी/तिगुनी) हो तो अविलम्ब राजफैड मुख्यालय को सूचित करावें। जिससे इस बाबत कृषि विपणन विभाग स्तर से उचित कार्यवाही करायी जा सके।
4. निविदा में सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित हैण्डलिंग दरें (जो कृषि विपणन विभाग से प्रमाणित हो) उन्हें ही शामिल किया जावें। अन्य किसी भी हैण्डलिंग दर के आधार पर की गई निविदा केवल अवैध मानी जायेगी।

भवदीय,

Sd
वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 524 दिनांक 24.02.2023 के क्रम में भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार अपने स्तर से जांच कर लेवें।
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 728 दिनांक 27.02.2023 के क्रम में भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशानुसार अपने स्तर से जांच कर लेवें।

वित्तीय सलाहकार एवं
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)